न्यायालय जिला कलक्टर, बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी : निशान्त जैन, आई0ए0एस0

राजस्व अपील सं. 09/2023

अपीलांट्स –
1. गंगाराम पुत्र लाखाराम जाति जाट निवासी जाखड़ो की ढाणी तहसील बाड़मेर जिला बाड़मेर

बनाम

रेस्पोडेंट्स –
1. तुलछाराम पुत्र मालाराम
2. मगाराम पुत्र नरसिंगाराम
3. नारणाराम पुत्र नरसिंगाराम
4. ठाकराराम पुत्र भैराराम जाति जाट निवासी जाखड़ो की ढाणी तहसील बाड़मेर जिला बाड़मेर
5. तहसीलदार बाड़मेर

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 विरूद्ध आदेश क्रमांक 639 दिनांक 24.02.2023 जो संयुक्त खातेदारी की भूमि के विभाजन हेतु तहसीलदार बाड़मेर द्वारा पारित किया।

उपस्थिति :–
1. श्री उगराराम सहारण, अधिवक्ता अपीलांट की ओर से उपस्थित।
2. श्री विष्णु चौधरी, अधिवक्ता रेस्पो0 सं. 2व3 की ओर से उपस्थित।
3. रेस्पोडेंट संख्या 1व4 बावजूद सूचना अनुपस्थित।

निर्णय

दिनांक : 28.08.2024

1. अपीलांट की ओर से यह अपील धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत रेस्पोडेंट तहसीलदार बाड़मेर के द्वारा कृषि भूमि के विभाजन हेतु पारित आदेश क्रमांक 639 दिनांक 24.02.2023 के विरूद्ध पेश की गई है।

2. प्रस्तुत अपील के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि मौजा जाखड़ो की ढाणी में खेत खसरा संख्या 852/151, 996/151, 997/151 कुल रकबा 20–2505 हैक्टर एवं मण्डो का तला में खेत खसरा संख्या 224, 246, 250, 251, 263, 326/4 कुल रकबा 22–2820 हैक्टर भूमि खातेदारान गंगाराम पुत्र लाखाराम, ठाकराराम पुत्र भैराराम, तुलछाराम पुत्र मालाराम, नारणाराम मगाराम पि0 नरसिंगाराम कौम जाट निवासी जाखड़ो की ढाणी सा. देह के नाम खातेदारी में दर्ज थी। उक्त खातेदारान ने कृषि जोतो का विभाजन प्रार्थना पत्र पेश कर संयुक्त खातेदारी की भूमि के विभाजन हेतु दिनांक 24.12.2023 को प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर प्रार्थना–पत्र के संलग्न विभाजन प्रस्ताव के अनुसार विभाजन करने का निवेदन किया। इस पर हलका पटवारी जाखड़ों की ढाणी की रिपोर्ट अनुसार तहसीलदार बाड़मेर द्वारा उक्त अपीलाधीन विभाजन स्वीकृति आदेश क्रमांक 639 दिनांक 24.02.2023 पारित किया गया, जिसके विरूद्ध यह अपील अन्तर्गत धारा 225 इस न्यायालय के समक्ष

Signature Not Verified
Digitally signed by Nishant Jain
Date: 2024.09.06 13:29:29 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलेक्टर बाड़मेर (राजस्थान)

जिला कलक्टर
बाड़मेर

दिनांक 05.04.2023 को प्रस्तुत की गई है तथा अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को क्षमा करने हेतु धारा 5 मयाद अधिनियम के तहत प्रार्थना–पत्र मय शपथ–पत्र एवं स्थगन प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया गया।

3. अपीलांट की अपील मयाद के बिन्दु पर निर्णय सुरक्षित रखते हुए दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट्स को जरिये नोटिस तलब किया गया। अपीलाधीन अभिलेख तलब किया जाकर अवलोकन किया।

4. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा अपीलांट एवं रेस्पोडेंट्स के अधिवक्तागण को सुना। अधिवक्ता अपीलांट ने निवेदन किया कि अपीलांट व रेस्पोडेंट्स की संयुक्त खातेदारी एवं पैतृक भूमि मौजा जाखड़ो की ढाणी में खेत खसरा संख्या 852/151, 996/151, 997/151 कुल रकबा 20–2505 बीघा एवं मण्डो का तला में खेत खसरा संख्या 224, 246, 250, 251, 263, 326/4 कुल रकबा 22–2820 बीघा में आई हुई है। उतरदाता संख्या 01 से 4 ने अपीलांट को वादग्रस्त खेतों का मौके पर कब्जा काश्त व पूर्व किये गये बाहामी बंटवाडा अनुसार विभाजित करने व पक्षकारान का पृथक–पृथक खातेदारी अंकन करने का प्रस्ताव रखा। जिस पर अपीलांट ने मौके पर कब्जा–काश्त के अनुसार बंटवाडा करवाने की सहमति दी तथा पटवारी ने मौके पर कब्जा काश्त के अनुसार विभाजन प्रस्ताव व नक्शा तैयार कर विभाजन प्रस्ताव उतरदाता संख्या 5 के समक्ष प्रस्तुत किया तथा पक्षकारान ने विभाजन प्रस्ताव, नक्शे व जमाबंदी पर हस्ताक्षर कर तहसीलदार बाड़मेर द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित किया गया जो मौके पर कब्जा–काश्त के अनुसार नहीं कर गलत कर दिया, जिसकी जानकारी तत्समय अपीलांट को नहीं हो सकी। अपीलांट अज्ञान, वृद्ध व अनपढ़ होने के कारण उन्होंने अपने हस्ताक्षर कर कागजात उतरदाता संख्या 1 से 4 व हल्का पटवारी को दिये। उसके बाद अपीलांट को जानकारी दिये बिना हल्का पटवारी ने उतरदाता संख्या 1 से 4 के साथ मिलीभगत करते हुए अपने हिसाब से तरमीम नक्शा मुर्तिब किया गया जिससे भी उक्त बंटवाडा प्रारम्भ से ही दूषित आदेश की श्रेणी में आता है। दो सह खातेदारान के मध्य जब भूमि का विभाजन किया जाये तब भूमि की उर्वरा स्थिति पक्षकारों के कब्जा का ध्यान रखा जाना था परन्तु अपीलाधीन आदेश पारित करते समय तहसीलदार बाड़मेर ने इन मुद्धों को अनदेखा कर विधिक भूल की है। पक्षकारान के मध्य हुऐ बाहामी बंटवाडे के अनुसार नहीं किया गया है, तथा खसरा नम्बर 852/151 मौजा जाखड़ों की ढाणी व खसरा नम्बर 326/4 मौजा मण्डों की ढाणी में नक्शा ट्रेस की तरमीम व मौके पर कब्जा काश्त में भारी भिन्नता [illegible] हेतु संलग्न नक्शे में पक्षकारान के हस्ताक्षर व अ[illegible] जानकारी दिये बिना गलत रूप से तरमीम नक्शा दर्शाया गया है। [illegible] विभाजन में पक्षकारान के भौतिक कब्जे के अनुसार नहीं किया है। ब[illegible] उतरदाता संख्या 1 से 4 के दबाब में रहते हुए अच्छी किस्म की भूमि व सड़क पर स्थित अधिक भूमि अपने हिस्से में रखते हुए किया गया है जबकि मौके पर इसके विपरित कब्जा–काश्त

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)

Signature Not Verified
Digitally signed by Nishant Jain
Date: 2024.09.06 13:29:29 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
बाड़मेर

है। अपीलांट को उसके विधिक हिस्से से रकबा 30 बीघा कम बंट में दी गई है तथा उतरदातागण ने अपने हिस्से में अधिक भूमि रखते हुये बंटवाडा करवाया है जिस कारण उक्त आदेश अपास्त योग्य है।

5. अपीलांट के अधिवक्ता ने यह भी प्रकट किया कि अपीलाधीन आदेश दिनांक 24.02.2023 की पालना में नामान्तकरण भी पारित कर दिया तथा लठट्ा ट्रेस में अलग–अलग तरमीम भी कर दी जिसकी जानकारी अपीलांट को नहीं हुई। अरसा कुछ समय पूर्व अपीलांटगण ने अपने हिस्से की भूमि की हल्का पटवारी से पैमाइश करवाई गई तो मौके पर अपीलांट के कब्जे काश्त के अनुसार भूमि का बंटवाडा व तरमीम नहीं की गई। इस त्रुटिपूर्ण अपीलाधीन आदेश का ज्ञान हुआ व इस पर जानकारी होने से यथा शीघ्र अपील अन्दर मयाद प्रस्तुत की गई है। अपील प्रस्तुत करने में हुए सद्भाविक विलम्ब को क्षमा करने के लिए धारा 5 मयाद अधिनियम का प्रार्थना–पत्र मय शपथ–पत्र अपील के संलग्न प्रस्तुत कर अपील को अन्दर मयाद शुमार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त किये जाने का आदेश फरमाने का भी निवेदन किया है।

6. रेस्पोडेंट्स के अधिवक्ता द्वारा जवाब में प्रकट किया कि अपीलांट व रेस्पोडेंट्स ने दिनांक 24.02.2023 को तहसीलदार बाड़मेर के समक्ष उपस्थित होकर संयुक्त खातेदारी की भूमि भूमि मौजा जाखड़ो की ढाणी में खेत खसरा संख्या 852/151, 996/151, 997/151 कुल रकबा 20–2505 हैक्टर एवं मण्डो का तला में खेत खसरा संख्या 224, 246, 250, 251, 263, 326/4 कुल रकबा 22–2820 बीघा का सहमति विभाजन हेतु इकरारनामा प्रस्तुत किया। हलका पटवारी द्वारा विभाजन इकरार की ताईद करते हुए कब्जा काश्त अनुसार विभाजन होना पुष्टि किया गया। इस पर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार बाड़मेर द्वारा पक्षकारान की सहमति के आधार पर विभाजन इकरारनामा स्वीकृत करते हुए राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज हेतु हलका पटवारी को अपीलाधीन आदेश जारी किया गया। अपीलकर्ता व उतरदाता ने हलका पटवारी को मौके पर ले जाकर रंग भरवाकर उसी अनुसार तहसीलदार बाड़मेर के समक्ष प्रस्तुत किया था इस प्रकार तहसीलदार बाड़मेर ने मौके पर कब्जा व काश्त के अनुसार सही होने पर, व खातेदार इसमें सहमत होने पर विभाजन को स्वीकार करने में किसी प्रकार की त्रुटि नहीं की है। इस आधार पर अपीलांट्स की यह अपील मयाद बाहर होने से खारिज योग्य है। अतः अपीलांट की यह अपील गुणावगुण पर कमजोर होने के साथ–साथ मयाद बाहर होने से मय खर्चा खारिज फरमाई जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Nishant Jain
Date: 2024.09.06 13:29:29 IST
Reason: SelfAttested

7. हमने अपीलांट के अधिवक्ता द्वारा प्रकट तथ्यों पर मनन किया एवं अपीलाधीन अभिलेख का अवलोकन किया। अधिवक्ता अपीलांट का कथन है कि मौजा मण्डों का तला के खसरा संख्या 326/4 की भूमि अपीलांट एवं रेस्पोडेंट की संयुक्त रूप से क्रयशुदा भूमि हैं जिसमें अपीलांट का हिस्सा 1/3 है, इसके बावजूद विभाजन में 1/2 हिस्सा दिया गया हैं। इसी प्रकार ग्राम मण्डों का तला के

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)
जिला कलक्टर
बाड़मेर

पैतृक खसरा संख्या 224, 246, 250, 251, 263 कुल रकबा 9.9472 हैक्टर एवं ग्राम जाखड़ों की ढाणी के खसरा नम्बर 852/151, 996/151, 997/151 कुल रकबा 20.2505 हैक्टर में अपीलांट का 1/2 हिस्सा होने के बावजूद 1/3 हिस्सा भूमि गई हैं, इस प्रकार अपीलांट को अपने हिस्से से करीब 30 बीघा भूमि कम दी गई हैं। जहां तक प्रकरण में मयाद का प्रश्न हैं तो यह सर्वमान्य विधिक सिद्धान्त हैं कि जो आदेश विधिक प्रावधानों के विपरित एवं तथ्यात्मक दृष्टि से त्रुटिपूर्ण हैं तो उसके लिये मयाद बाधक नहीं हो सकती हैं। इसके बावजूद भी अपीलांट द्वारा मयाद के संबंध में प्रार्थना–पत्र एवं शपथ–पत्र प्रस्तुत कर विलम्ब का कारण प्रकट किया हैं जो सद्भाविक प्रतीत होता हैं। लिहाजा अपीलांट की यह अपील उपर्युक्त उल्लेखित तथ्यों एवं आधारों पर अन्दर मयाद शुमार की जाती हैं। अधिवक्ता रेस्पोडेंट का कथन हैं कि अपीलाधीन विभाजन में स्वंय अपीलांट ने अपनी सहमति प्रदान की गई थी तथा इसी सहमति अनुसार विभाजन हुआ है। मौके पर कब्जा–काश्त अनुसार पक्षकारान की सहमति एवं स्वीकृति के आधार पर ही तहसीलदार बाड़मेर द्वारा विभाजन स्वीकार किया गया हैं। इस प्रकार अधिवक्ता रेस्पोडेंट द्वारा अपीलांट के हिस्से एवं रकबे की कमी–बेशी के बाबत कोई ठोस तथ्यात्मक जवाब प्रकट नहीं किया गया हैं, इसके विपरित यह स्वीकृत तथ्य हैं कि मौजा मण्डों का तला के खसरा नम्बर 326/4 की भूमि क्रयशुदा हैं तथा अपीलांट का हिस्सा 1/3 होने के बावजूद अपीलाधीन विभाजन में उसे 1/2 हिस्सा विभाजित कर दिया गया हैं। इसी प्रकार अन्य पैतृक भूमि में उसका हिस्सा 1/2 होने के बावजूद उसे 1/3 हिस्सा दिया गया हैं, जो कि विभाजन पूर्णतया त्रुटिपूर्ण हैं। खातेदारी भूमि के विभाजन में हिस्से में आने वाले रकबे को कम ज्यादा नहीं किया जा सकता हैं। हस्तगत विभाजन इकरारनामा इस विधिक एवं तथ्यात्मक दृष्टि से त्रुटिपूर्ण होने से बहाल रखा जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता हैं।

8. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामस्वरूप अपीलांट द्वारा प्रस्तुत यह अपील स्वीकार की जाकर तहसीलदार बाड़मेर द्वारा मौजा जाखड़ो की ढाणी में खेत खसरा संख्या 852/151, 996/151, 997/151 कुल रकबा 20–2505 हैक्टर एवं मण्डो का तला में खेत खसरा संख्या 224, 246, 250, 251, 263, 326/4 कुल रकबा 22–2820 हैक्टर भूमि के खातेदारान गंगाराम पुत्र लाखाराम, ठाकरारामं पुत्र भैराराम, तुलछाराम पुत्र मालाराम, नारणाराम मगाराम पि0 नरसिंगाराम कौम जाट निवासी जाखड़ो की ढाणी के विभाजन स्वीकृति हेतु पारित अपीलाधीन आदेश क्रमांक 639 दिनांक 24.02.2023 अपास्त किया जाता हैं।

9. निर्णय आज दिनांक 28.08.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Nishant Jain
Date: 2024.09.06 13:29:29 IST
Reason: SelfAttested

(निशान्त जैन)
जिला कलक्टर, बाड़मेर

जिला कलक्टर
बाड़मेर